## <u>न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)</u> (समक्ष-विजयश्री राठौर)

संस्थापन दिनांक :-12.03.2018

- राम बाई पत्नी-श्री भंगी, आयु-62 वर्ष 1.
- नंदलाल वल्द-श्री भंगी, आयु-39 वर्ष 2.
- देवमन वल्द-श्री भंगी, आयु-33 वर्ष 3.
- साहबलाल वल्द-श्री भंगी, आयु-26 वर्ष, 4. निवासी-डांगवा तहसील-घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल म०प्र०

#### -वादीगण / आवेदकगण

#### विरुद्ध

- रामेश्वर उर्फ रमेश, आयु–51 वर्ष,
- दरवेश वल्द—श्री रामलाल, आयु—48 वर्ष,
- रामपाल वल्द–श्री रामपाल, आयु–45 वर्ष,
- रामकिशोर वल्द-श्री रामपाल, आयु-41 वर्ष, समस्त निवासी-ग्राम डांगवा, तहसील-घोड़ाडोंगरी, जिला-बैतूल म०प्र0
- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल, 5. तहसील-व-जिला-बैतूल म०प्र०।

#### <u> –प्रतिवादीगण / अनावेदकगण</u>

ः श्री कपिल वर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत ४ ः श्री हीरामन सूर्यवंशी अधिवक्ता।

### ।। <u>आदेश</u>।।

(आज दिनांक: 16 मई, 2018 को पारित किया गया)

1— इस आदेश के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.सं., आई.ए.नं. 1 का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदन संक्षिप्तः इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी क्रमांक—1 लगयात 4 का वृक्षवंश निम्नानुसार है:—

ग्राम—डांगवा, तहसील—घोड़ाडोंगरी, जिला—बैतूल, स्थित खसरा नंबर <u>60 / 1</u> रकबा 0.510 है0 की भूमि भंगी, जो कि वादी के पति थे, एंव  $\frac{60}{2}$  रकबा 0.526 है0 की भूमि रामलाल के नाम से वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी ने बिना भंगी एंव वादीगण के जानकारी के समय-समय पर राजस्व अभिलेखो ने अपने-अपने नाम पर जमीने लगवाई, जिसकी जानकारी कभी भी वादीगण एंव भंगी को नही लगने दी। राजस्व अधिकारी एंव पटवारी ने भी मनमानी करते हुये अवैध प्रविष्ठियां राजस्व अभिलेख में की है। एक जगह राजेश के पिता के स्थान पर श्यामलाल का नाम लिखा है, दरवेश्वर के पिता का नाम रामपाल लिखा है, जबकि रामपाल उसका भाई है। खसरा नंबर 60 पहले अकेले भंगी के नाम से दर्ज था बाद में बिना भंगी व वादीगण के जानकारी के भंगी के नाम से 60/1 तथा रामलाल के नाम से 60/2दर्ज कर लिया गया। बाद में ये दोनों के मरने के बाद 60 / 1 की जमीन रामलाल के लड़के के नाम दर्ज करा दी गई। भंगी के नाम से दर्ज खसरा नंबर 109 रकबा 26 डिसमिल भंगी के मरने पर वादीगण के नाम से दर्ज करना चाहिये था, जो कि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कर दी गई जो स्पष्टरूप से त्रुटिपूर्ण है। वर्ष 1960 मे भंगी एंव रगीया बाई ने ग्राम—डागंवा स्थित खसरा नंबर <u>21/1</u> रकबा 7.0 ए०, खसरा नंबर 118 रकबा 2.91 एकड, खसरा नंबर 119/2 रकबा 0.20 एकड एंव खसरा नंबर 120 रकबा 6.73 एकड अभेराम से खरीदी भूमि थी। रामलाल के लड़को ने वर्ष 1960 में अभेराम वल्द सुखराम से खरीदी जमीन का राजस्व अभिलेख में बटवारा करवा लिया जिसकी सूचना रगीया तथा भंगी को दी गई और नहीं ये बात कभी उन्हे पता चली थी, जिसका वर्णन वादपत्र के साथ संलग्न सूची क्रमांक-1 से 7 में वर्णित है। वाद पत्र के साथ संलग्न सूची क्रमांक-6 (3) में रामप्रसार वल्द रामलाल के हिस्से में सम्पत्ति दर्शाया गया है इस सम्पति को रामप्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिवादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा दी गई है। रामप्रसाद की पत्नी नही है तथा कोई वारसान भी नही है। उक्त सूची में दर्शित हिस्सा भी चारो प्रतिवादीगण के हिस्से राजस्व अभिलेख में दर्ज किये गये है ( उपरोक्त सम्पूर्ण भूमियों को आवेदन के पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर वादग्रस्त भूमि के नाम से संबाधित किया जायेगा )। सम्पूर्ण विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण कृषि करते हुये दो लाख रूपये प्रतिवर्ष प्राप्त करते रहे हैं, जिसमें से 1/2 भाग वादी का है। दिनांक 09.05.2016 को वादीगण ने उपरोक्त उक्त वादग्रस्त भूमि की किश्तबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये तहसील कार्यालय घोडाडोंगरी गये थे, वहा पता चला कि समस्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया है। वादीगण का नाम उक्त भूमि पर दर्ज नही किया गया है तब से लेकर वादीगण राजस्व न्यायालय में अपना नाम दर्ज करवाने का प्रयास करते रहे है, परन्तु असफल रहे है। राजस्व प्रकरण कमांक 164 अ/6 वर्ष 2015-16 में दिनांक 11.09.2017 को तहसीलदार घोडाडोंगरी में वादीगण ने कहा कि अब वह सिविल कोर्ट में स्वत्व अधिकार प्राप्ति के लिये कार्यवाही करना चाहते है, तब राजस्व प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यो को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि वादी एंव उसके मध्य कोई निकटतम संबंध नहीं है। वादी द्वारा जो खानदारी वंशवृक्ष प्रस्तुत किया है वह असत्य है। प्रतिवादी कुमांक-1 लगायत 4 के पिता रामलाल ने अपनी निजी कमाई से दिनांक 08.04.1960 को अभेराम से तीन एकड वादग्रस्त भूमि क्रय की थी। रामालाल वल्द सुखदेव जमीन क्य करते समय पृथक अपनी पत्नी डुल्लोबाई के साथ रहते थे तथा उस समय प्रतिवादी क्रमांक–1 का जन्म हो चुका था। प्रतिवादीगण के पिता रामलाल को ससुराल से मिले रूपये पैस की मदद् से तथा स्वंय द्वारा मजदूरी करके कमाये गये पैसो से वादग्रस्त भूमि क्रय की थी। तहसीलदार घोडाडोंगरी में नामांतरण वादी एंव प्रतिवादी उपस्थित रहे है, दोनो पक्षो के सुनने के बार तहसीलदार में राजस्व अभिलेखों में दोनों के नाम चढाये गये। अतः आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय 4-द्वारा प्रमुखतः निम्न बिन्दुओ पर विचार किया जाना आवश्यक है :-

- क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ? अ)
- क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है? ਕ)
- क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है? स)

#### ~सकारण निष्कर्ष

# विचारणीय बिन्दू कमांक-

- सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य को लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।
- प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में राजस्व आदेश पत्रिका दिनांक 23.07.2016, आवेदन पन्न दिनांक 23.07.2016, उद्घोषणा दिनांक 23.07.2016, अचल संपत्ति की कुर्की का अधिपत्य, फर्द बटान, आवेदन पत्र, बयनामा कीमती दिनांक 21.11.2017, खसरा नंबर <u>65/1</u>, 83, 84 का खसरा, किश्तबंदी, खसरा नंबर <u>36/3</u>, <u>65/3</u>, 65 / 9, 71 / 4 का खसरा किश्तबंदी, खसरा नंबर 65 / 3, 65 / 6, 65 / 7, 71 / 4 का खसरा किश्तबंदी, खसरा नंबर <u>36/1, 60/1</u>, <u>65/2</u>, <u>71/2</u> का खसरा किश्तबंदी, खसरा नंबर <u>36 / 4, 65 / 5, 65 / 8, 71 / 6</u> का खसरा किश्तबंदी, खसरा पंचशाला वर्ष 1952—53 दिनांक 30.12.2017 खसरा पंचशाला वर्ष 1952—53 दिनांक 30.12.2017, खसरा पंचशाला वर्ष 1950-51 दिनांक 30.12.2017, जमाबंदी वर्ष 1950-51 दिनांक 30.12.2017 राजस्व आदेश पत्रिका दिनांक 30.12.2017, फर्द बटन दिनांक 31.05.2016 की प्रतिलिपि के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
- वादीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में समस्त वादग्रस्त भूमि भंगी एंव रामलाल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी ने बिना भंगी एंव वादीगण के जानकारी के समय-समय पर राज्स्व अभिलेखो ने अपने-अपने नाम पर जमीने लगवाई, जिसकी जानकारी कभी भी वादीगण एंव भंगी को नही लगने दी।
- वादीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्पूर्ण विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण कृषि करते हुये दो लाख रूपये प्रतिवर्ष प्राप्त करते रहे है, जिसमें से 1@2 भाग वादी का है। दिनांक 09.05.2016 की वादीगण ने उपरोक्त उक्त वादग्रस्त भूमि की किश्तबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये तहसील कार्यालय घोंडाडोंगरी गये थे, वहा पता चला कि समस्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया है। वादीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण

का नाम उक्त भूमि पर दर्ज नही किया गया है तब से लेकर वादीगण राजस्व न्यायालय में अपना नाम दर्ज करवाने का प्रयास करते रहे है, परन्तू असफल रहे है। राजस्व प्रकरण क्रमांक 164 v@6 वर्ष 2015—16 में दिनांक 11.09.2017 को तहसीलदार घोडाडोंगरी में वादीगण ने कहा कि अब वह सिविल कोर्ट में स्वत्व अधिकार प्राप्ति के लिये कार्यवाही करना चाहते है, तब राजस्व प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

- प्रतिवादीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी एंव उसके मध्य कोई निकटतम संबंध नही है। प्रतिवादी कुमांक-1 लगायत 4 के पिता रामलाल ने अपनी निजी कमाई से दिनांक 08.04.1960 को अभेराम से तीन एकड वादग्रस्त भूमि कय की थी। रामालाल वल्द सुखदेव जमीन कय करते समय पृथक अपनी पत्नी डुल्लोबाई के साथ रहते थे तथा उस समय प्रतिवादी क्रमांक-1 का जन्म हो चुका था। प्रतिवादीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके पिता रामलाल को ससुराल से मिले रूपये पैस की मदद्र से तथा खंय द्वारा मजदूरी करके कमाये गये पैसों से वादग्रस्त भूमि क्रय की थी। तहसीलदार घोडाडोंगरी में नामांतरण वादी एंव वे सब उपस्थित रहे हैं, दोनो पक्षो के सुनने के बार तहसीलदार में राजस्व अभिलेखो में दोनो के नाम चढाये गये।
- प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वर्ष 2016—17 का खसरा एंव किश्तबंदी खतौनी के अवलोकन से दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर <u>65@1,</u> 83 एंव 84 दुल्लो के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। किश्तबंदी खतौनी एंव खसरा वर्ष रामिकशोर, दरवेश्वर एंव रामलाल के नाम से संयुक्त रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। खसरा नंबर <u>36@1, 60@1, 65@2, 71@2</u> दरवेश्वर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज होना परिलक्षित है। खसरा नंबर <u>36@5, 65@6, 65@7, 71@4</u> राजस्व अभिलेख में रामेश्वर के नाम से दर्ज होना दर्शित है। खसरा नंबर 36@4, 65@5, 65@8 एंव 71@6 रामपाल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज होना परिलक्षित है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत <u>गरूनाथ मनोहर पावस्कर</u> विरुद्ध नागेश सिद्धप्पा, ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 901 में अवधारित किया गया है कि राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्ठ के आधार पर आधिपत्य के संबंध में उपधारण की जा सकती है। वादी की ओर से अपने समर्थन में एसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है कि जिससे यह परिलक्षित हो कि वादग्रस्त भूमि पर उनका वैध आधिपत्य हो। स्वंय वादी ने अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में होकर लाभ प्राप्त कर रहे है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया वादग्रस्त भूमि पर वादी का वैध आधिपत्य ना होना परिलक्षित होकर प्रतिवादींगण के नाम के प्रविष्टि होना दर्शित हैं। जहां तक वादीगण के तर्क कि राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि की प्रविष्टिया त्रुटिपूर्ण रूप से

दर्ज है, इस संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्शित प्रविष्ठियां त्रुटिपूर्ण है या नहीं यह साक्ष्य का विषय है जिसे गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जाना है।

जहां वादग्रस्त भूमि पर वादी का वैध आधिपत्य दर्शित नही है ऐसी दशा 12-में उसके आधिपत्य को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

## विचारणीय बिन्दू कमांक-2

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य है कि ऐसी क्षति जो अवैध कृत का परिणाम हो तथा जिसे धन से नही तौल जा सकता हो। जहां वादग्रस्त स्थान पर वादी का वैध आधिपत्य होना दर्शित नही है, ऐसी दशा में उसे अपूर्णीयक्षति कारित होने की संभावना नही है। 🛮

#### विचारणीय बिन्द् कमांक-3

- निषेधाज्ञा देने या ना देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी यह देखना होता है, जिसे सुविधा का संतुलन कहते है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एंव आधिपत्य प्रतिवादी का होना प्रथम दृष्टया दर्शित है, ऐसी स्थिति में यदि निषेधाज्ञा दी जाती है तो वादी के अपेक्षा प्रतिवादी को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नही पाया जाता है।
- 🌅 उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नही पाया जाता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.सं., आई.ए.नंबर-1 अस्वीकार किया जाता है।

आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण पर किया 16-जावेगा।

मेरे निर्देश पर टंकित।

**दिनांक**—16 मई, 2018 स्थान-बैतुल

(विजयश्री राठौर) प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-2 बैतूल, मध्यप्रदेश